State Bank Of Patiala
Head Office. The Mall
Patiala

Dear Customers

Our Bank is required to comply with the Provisions of ***"Prevention of Money Laundering Act 2002" and Reserve Bank guidelines with regard to Know Your Customer(KYC)*** *by updating the Customer information. To help the Bank, all our valued customers are requested, to please approach your branch with self attested photocopies of any of the following documents and* ***One recent Passport sized photograph*** *.*

For Identity Proof, Self-attested photocopy of any one of the following documents (alongwith Original for Verification)	*For Residence Proof, self attested photocopy of any one of the following documents (alongwith Original for Verification)*
1) Passport 2) Voter's Identity card 3) PAN card 4) Govt./Defence ID card 5) ID cards of reputed Employers 6) Driving Licence 7) Pension Payment Order(PPO) 8) Photo ID card issued by Post Office 9) Photo Identity card issued to bonafide students by an university approved by UGC or an institution approved by AICTE. 10) Job card issued by NREGA duly signed by an officer of the state Government. (*) 11) The letter issued by UIDAI containing details of name, address and Adhaar number (*) (* Items at serial no.10 & 11 to be accepted only for opening of small accounts.)	1) Credit card statement 2) Electricity Bill 3) Telephone Bill 4) Letter from any recognised public authority 5) Bank account statement 6) Ration card 7) Letter from Employer (subject to satisfaction of Bank) 8) Income / wealth tax assessment Order 9) Pension Payment Order issued to retired employees , if it contains current address 10) Registered lease agreement / Registered sale deed (Any one document which provides customer information to the satisfaction of the bank will suffice)

Entities other than individual such as firms (proprietory and partnership)/ company/society/trust /association) should submit documents of all such individuals who are operating the account [Proprietor/Partner,Director,Secretary and President , Trustees/ Authorised Signatory] respectively.

Please submit the same ***on or before 31/10/2011,*** *failing which the Bank will be constrained to stop/freeze operation in the account in order to comply with the provisions of PMLA-2002, Govt/RBI instructions.*

Assuring our continued and satisfying relationship with you.

\

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
प्रधान कार्यालय
पटियाला

प्रिय ग्राहकगण,

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला को अपने ग्राहकों की जानकारियों को अद्यतन बना कर ”धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों और ”अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)“ के विषय में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की अनुपालना करनी है। इस कार्य में बैंक की सहायता करने के लिए हम अपने सभी सम्माननीय ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि वे निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी भी एक दस्तावेज की स्वयं प्रमाणित तथा पास पोर्ट आकार के नवीनतम एक फोटोग्राफ के साथ अपनी शाखा से सम्पर्क करें।

पहचान के सबूत के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी भी एक दस्तावेज की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटाकापी (सत्यापन हेतु उस दस्तावेज की मूल प्रति के साथ)	निवास के सबूत के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी भी एक दस्तावेज की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोकापी (सत्यापन हेतु उस दस्तावेज की मूल प्रति के साथ)
1. पासपोर्ट 2. मतदाता पहचान कार्ड 3. पैन कार्ड 4. सरकारी/सैन्य बल पहचान कार्ड 5. मान्य नियोक्ता का पहचान कार्ड (बैंक के संतु ट होने की र्त पर) 6. ड्राइविंग लाइसेंस 7. पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) 8. डाकघर द्वारा जारी किया हुआ फोटो पहचान कार्ड 9. यूजीसी द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय या एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित किसी संस्था द्वारा अपने आधिकारिक छात्रों को जारी किए गए फोटो पहचान कार्ड 10. राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित नरेगा जॉब कार्ड ’ 11. यू आई डी ए आई द्वारा जारी किया गया पत्र जिसमें नाम, पते और आधार नंबर का विवरण दिया गया हो ’ ’कमांक 10 एवं 11 पर दी हुई पहचान पत्रों को केवल छोटे खातों (स्मॉल एकाउंट) के लिए स्वीकार किये जाएंगे ।	1. क्रेडिट कार्ड की विवरणी 2. बिजली का बिल 3. टेलीफोन का बिल 4. किसी मान्यता प्राप्त लोक प्राधिकरण का पत्र 5. बैंक खाते की विवरणी 6. राशन कार्ड 7. नियोक्ता का पत्र (यदि बैंक संतुष्ट हो) 8.आयकर एवं सम्पति कर निर्धारण आदेश 9.कर्मचारियों को जारी किया गया पेंशन भुगतान आदेश यदि इसमें वर्तमान पता दिया हो । 10. पंजीकृत पट्टा करार/पंजीकृत बैनामा (कोई अन्य दस्तावेज जो बैंक की संतुष्टि के अनुसार जानकारी देता हो वह भी काफी होगा)

व्यक्तियों के अलावा अन्य उद्यम/संस्थाएं जैसे कि फर्मे (प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप)/कम्पनी/सोसाइटी/ट्रस्ट/एसोसियेशन क्रमशः ऐसे सभी व्यक्तियों जो इन खातों

का संचालन कर रहे हो (जैसे प्रोपराइटर/पार्टनर/निदेशक/सचिव एवं अध्यक्ष/ट्रस्टी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) के दस्तावेजों को प्रस्तुत करें ।

आप से अनुरोध है कि आप इन दस्तावेजों को 31.10.2011 तक या उससे पहले ही अपनी ाखा को अवश्य प्रस्तुत कर दें ऐसा नहीं करने पर, पीएमएलए - 2002, भारत सरकार/भा.रि.बैंक के निर्देशों/प्रावधानों की अनुपालना करने के प्रयोजन से बैंक आपके खाते में परिचालन को बंद/अवरूद्ध कर देने के लिए मजबूर होगा।

आपके साथ संतुि टदायक सेवा एवं संबंधों के लिए हमेशा तत्पर ।